फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

र्थी / वादी		अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
ज़रंगलाल	बनाम	भंवराराम

स्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र | मुकदमा नं. 14 / 2021

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्वर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रकरण को अवलोकन किया जिससे ज्ञात हुआ कि प्रकरण हाजा दिनांक 25.01..2021 से तलबी में लम्बित चला रहा हैं। तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये, गत तारीख पेशी 27.05.2025 पर वकील प्रार्थी को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर दिया गया, कि अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी सम्मन की जाकर रसीदे व डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करे अन्यथा प्रकरण सीपीसी प्रावधानुसार खारिज किया जावेगा। परन्तु वकील प्रार्थी ने गत साबिका आदेश की पालना नहीं कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलबाना तामील हेतु पेश किये है। अतः प्रकरण हाजा में वकील प्रार्थी द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर वादी का वाद सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	